Ref: 43/10/2023 23-10-2023

MINUTES OF 79TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CHAMBER HELD AT PRESS CLUB, CIVIL LINES, NAGPUR ON SUNDAY, THE 24TH SEPTEMBER, 3.00 PM.

आमसभा के चेअरमेन - प्रशासक यु.सी. नाहटा

अन्य उपस्थिती - प्रशासक टीम मेंबर सी.ए. प्रसाद धारप, कंपनी सेक्रेटरी - सी.एस. अक्षय परांजपे।

सभा में सदस्यों की उपस्थिती कोरम के अनुसार रही एवं ४७ सदस्य उपस्थित थे।

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Company as at 31st March, 2023 and the Statement of Income & Expenditure for the year ended on 31st March, 2023 and the report of the Administrator and Auditors:

सर्वप्रथम प्रशासक यु.सी. नाहटा ने चेंबर की ७९ वीं वार्षिक आमसभा की अध्यक्षता करते हुये सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् उन्होंने Administrator report पढ़कर सुनायी। उसमें कोई सुझाव व संशोधन हो तो उसे प्रस्तुत करने को कहा। Administrator report में कोई भी संशोधन न होने पर सभा में उसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

२. प्रशासक श्री यु.सी. ने कहा कि चेंबर की वित्तीय वर्ष २०२२-२३ की Auditor report व Audited Balance Sheet की कॉपी आमसभा के सूचना पत्र के साथ सदस्यों को भेजी गयी है। जिसमें चेंबर का ३१ मार्च २०२३ तक आय-व्यय का पूर्ण विवरण है। सदस्यों द्वारा उसमें कोई सुझाव व संशोधन हो तो उसे प्रस्तुत करने को कहा।

- स्टील ऍण्ड हार्डवेअर चेंबर विदर्भ के उपाध्यक्ष एवं चेंबर के सदस्य श्री संजय के. अग्रवाल ने कहा कि चेंबर की इस वर्ष की Balance Sheet के कुछ Head में बहुत अधिक खर्चे हुए जिनमें पदाधिकारियों के पर्सनल खर्चे भी शामिल थे, उस पर उनकी संस्था ने objection करते हुये चेंबर को पत्र लिखकर उन खर्चो की विस्तृत जानकारी मांगी थी। जिसका हमें email द्वारा जवाब मिला जो, संतोषजनक नहीं था। balancesheet में यह भी दिख रहा है कि निर्यातको certificate origin उधारी में दिया जा रहा है।श्री संजय के. अग्रवाल ने पूछा कि इसके लिए चेंबर के पदाधिकारियों द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है क्या? चेंबर की कर्मचारी ने

बताया कि certificate of origin उधारी में नही दिया जा रहा है। मार्च माह के अंतिम २-३ दिनों के बिल की राशी balanace sheet में दिख रही है जिसका भुगतान अप्रैल माह में आ गया है।

प्रशासक महोदय ने कहा कि चेंबर के कार्यालय से पत्र में लिखित खर्चो की विस्तृत जानकारी उनकी संस्था को उपलब्ध करा दी जाएगी।

- श्री अजय मदान ने कहा कि नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापारियों की संस्था है। चेंबर से जुड़े व्यापारियों ने अपनी मेहनत से चेंबर को खड़ा किया है। चेंबर व्यापारियों के पैसो चलता है। किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को मनमाने तरीके से व्यक्तिगत रूप से चेंबर को पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। वर्ष २०२२-२३ में चेंबर के पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से summons के लिए न सिर्फ चेंबर द्वारा होटल व यात्रा का खर्चा किया बल्कि परिवार को चेंबर के खर्चे पर यात्री करवायी। मनमाने तरीके से suspend पुर्व अध्यक्ष ने मुझे और मेरे संस्था के प्रतिनिधी की सदस्यता इसलिए रद्द कर दी थी कि चेंबर के नए बनने वाले भवन के सभागृह पर उनके पिताजी का नाम लिखने पर हमारी संस्था ने विरोध दर्शाया था। उनके कार्यकाल में मनमाने तरीके से चेंबर पुराने सदस्यों का रिन्युल नहीं करने दिया गया तथा नई सदस्यता बंद रहने पर भी amnesty scheme के नाम से अपने करीबियों को चेंबर की सदस्यता दी गई और उनसे एडमिशन फी भी नहीं ली, जिससे चेंबर को बहुत नुकसान हुआ है।

  अतः प्रशासक महोदय से विनम्र निवेदन है कि suspend पुर्व अध्यक्ष व पदाधिकारियों द्वारा जो भी निर्णय लिए गए है उन्हें रद्द करवाये और हम व्यापारियों की भावनाओं एवं निवेदन को NCLT के समक्ष रखकर उन सभी पदाधिकारियों से चेंबर के पैसौ की नुकसान भरपाई करवायी जानी चाहिए।

  प्रशासक टीम मेंबर सी.ए. प्रसाद धारप ने कहा कि चेंबर की अनियमितताओं की जांच-पड़ताल के लिए प्रशासक महोदय ने forensic audit भी करवाया था। जिसमें चेंबर में गड़बड़ी हुई है यह सामने आया है। NCLT ने उन्हें अपनी रिपोर्ट ६ महीनों में जमा करने को कहा था और एवं उन्होंने अपनी रिपोर्ट NCLT को सौंप दी है। अब इस पर NCLT ही निर्णय करेगा।

- चेंबर के पुर्व अध्यक्ष श्री दिपेनजी अग्रवाल ने कहा कि गत वार्षिक आमसभा में उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई थी। मनमाना माहौल बनाकर suspended अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने अपने मुद्दे सभा में पारित करा लिए थे। जिसकी शिकायत हमने NCLT में की और NCLT ने चेंबर में प्रशासक नियुक्त कर दिया। किसी भी संस्था या कंपनी में प्रशासक नियुक्त होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चेंबर का हित चाहने वाले हम व्यापारियों ने प्रशासक महोदय का

तहेदिल से स्वागत किया एवं जांच-पड़ताल में उनका पूर्ण सहयोग भी किया। हमें चेंबर में हुई गड़बडियों को समाप्त कर, चेंबर के पुराने गौरव को वापस लाना है। ROC, NCLT की जांच-पड़ताल में यह सिद्ध हो गया है कि suspended अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने मनमानी करते हुये चेंबर की सदस्यता पर रोक लगाकर, चेंबर के फंड का नीजि खर्चे पर उपयोग कर चेंबर का बहुत अधिक आर्थिक नुकसान किया और चेंबर की छबी भी धूमिल की है।

हमें उम्मीद है कि प्रशासक महोदय के निर्देश में चेंबर सही दिशा में काम होगा और जब भी NCLT निर्णय सुनाएगा, वे निष्पक्ष चुनाव कराकर चेंबर में आदर्श व्यवस्था लागू करेंगे।

श्री दिपेनजी अग्रवाल ने सभा में प्रस्ताव रखा कि हम चेंबर के सदस्य चेंबर का वर्ष २०२२-२३ की Balance sheet इस विरोध के साथ स्वीकृत करते है कि वर्ष २०२२-२३ में गत अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों द्वारा चेंबर कें फंड का मनमाने तरीके से व्यक्तिगत हेतु खर्च कर चेंबर का नुकसान किया गया है उसकी ब्याज सहीत नुकसान भरपाई गत suspended अध्यक्ष व पदाधिकारियों से करवायी जाएगी।

श्री हेमंतजी गांधी ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया एवं श्री दिलीपजी ठकराल ने उनका अनुमोदन किया। उपरोक्त विरोध के साथ सभी सदस्यों ने चेंबर की वर्ष २०२२-२३ की Audited Balance Sheet & Auditor report को स्वीकृती प्रदान की।

- श्री जयप्रकाश पारेख ने कहा कि पदाधिकारियों ने चेंबर फंड से व्यक्तिगत खर्चे किए है उनसे भरपाई करवायी जानी चाहिए और चेंबर की छबि बिगाड़ने वाले एवं चेंबर का आर्थिक नुकसान करने वाले सभी को कानून द्वारा सजा मिलनी चाहिए। साथ ही इस वार्षिक आमसभा के मिनिट्स की कापी ३० दिनों के अंदर सदस्यों को प्रेषित की जानी चाहिए। श्री पारेख ने आगे कहा कि चेंबर का गठन व्यापारियों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुँचाकर हल कराने हेतु हुआ। प्रशासक महोदय की नियुक्ती चेंबर में कब तक रहेगी?

  प्रशासक यु.सी. नाहटा ने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट NCLT बैंच को सौप दी है। अब आगे का निर्णय बैंच ही करेगी और जब तक NCLT निर्णय नहीं देती तब तक चेंबर का कार्य उनके नेतृत्व में ही होगा। इस वार्षिक आमसभा के मिनिट्स ३० दिनों के अंदर ही सदस्यों को प्रेषित कर दिए जाने का निर्देश दिया।

  टीम मेंबर सी.ए. प्रसाद धारप ने कहा कि प्रशासक महोदय ने अपनी नियुक्ती के तुरंत बाद से ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापारियों से आव्हान किया है वे अपनी समस्याएं हमें बताए। हम चेंबर के माध्यम से सरकार द्वारा उन्हें हल कराने का प्रयास करेंगे। सी.ए. धारप ने १५ अगस्त को झंडा वंदन के समय भी व्यापारियों से गुजारिश की थी कि व्यापारी अपनी समस्याएं चेंबर

को बताये। उसके बाद उन्होंने श्री फारूकभाई अकबानी व सदस्यों के साथ MSEDCL को बिजली समस्याओं पर चेंबर की ओर से प्रतिवेदन भी दिया है।

2. The Members of the Chamber at its AGM held on 21/10/2020 had appointed M/s K K Mankeshwar & Co., Chartered Accountants, Nagpur (FRN 106009W) as Statutory Auditors of the Chamber for a term of 5 (Five) years to hold office up to the conclusion of the AGM of the Chamber to be held for the financial year ending 31/03/2025.

प्रशासक महोदय ने कहा कि वर्ष २०२० में चेंबर की ७६वीं वार्षिक आमसभा में M/s K K Mankeshwar & Co., Chartered Accountants, Nagpur (FRN 106009W) को वर्ष २०२५ तक Statutory Auditors नियुक्त किया गया।

श्री संजय के. अग्रवाल ने बताया कि वर्ष २०२० की वार्षिक आमसभा में प्रति ५ वर्ष के पश्चात् मानधन बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया था।

अतः प्रशासक महोदय ने कहा कि ऑडिटर का मानधन गत वर्ष की तरह ही रहेगा तथा ऑडिटर की नियुक्ती वर्ष २०२५ में चेंबर ८१वीं वार्षिक आमसभा तक रहेगी।

सभा ने उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृती प्रदान की।

आमसभा की समाप्ति की औपचारिक घोषणा हुई।

आमसभा के अन्य विषय :

- श्री संजय के. अग्रवाल ने कहा कि चेंबर के आजीवन सदस्य मेसर्स खेमका सेल्स कॉपारेशेन - के श्री नटवर खेमका सभा में उपस्थित नहीं है। उन्होंने वॉट्स ऍप द्वारा मेसज भेजकर अपनी बात रखने को कहा है। उन्होंने वॉट्स ऍप मेसेज में कहा कि suspend पदाधिकारियों द्वारा उनकी जानकारी व सहमती के बिना उनकी फर्म में श्री तनय अग्रवाल का नाम जोड़ा गया है। जो न तो उनके परिवार के सदस्य है न ही कर्मचारी और वे श्री तनय अग्रवाल को जानते भी नहीं हैं इस वार्षिक आमसभा से २-३ दिन पूर्व पत्र द्वारा प्रशासक महोदय को सूचित भी किया है। अतः श्री तनय अग्रवाल का नाम उनके फर्म से हटाया जाये।

  श्री संजय के. अग्रवाल ने कहा कि suspend पदाधिकारियों द्वारा अन्य बहुत सारी सदस्य फर्मो में भी बिना जानकारी व बिना पत्र के अपने करीबियों के नाम जोड़े गए है। फर्म मालिकों को पता भी नहीं होता उनके फर्म का वोट सभा में डाल दिया जाता है। अतः ऐसे नाम की जांच कराकर बिना जानकारी के जोड़े गए नाम हटाए जाने चाहिए।

  प्रशासक महोदय ने कहा कि forensic audit में पाया गया है कि गत २ वर्षो में चेंबर में नए सदस्य बनाने, पुराने सदस्यों की रिन्युल करने एवं उनके प्रतिनिधियों के नाम जोड़ने या हटाने में

मनमानी की गयी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट bench को सौप दी है। अब bench ही इस पर निर्णय करेगी।

- श्री फारूकभाई अकबानी ने कहा कि चेंबर में गलत तरीके से काम हुआ है और वे सदैव व्यापारियों के साथ है। अतः उन्होंने प्रशासक महोदय से निवेदन किया कि चेंबर की व्यवस्था में अवश्य सुधार होना चाहिए।

- चेंबर के पुर्व अध्यक्ष श्री निलेशजी सुचक ने प्रशासक से कहा कि आपके निर्देश से नए सदस्यों हेतु scrutiny committee बनाई गई है। इस समिती द्वारा सिर्फ नए सदस्यों की scrutiny हुई है गत २ वर्षो में जो सदस्य अवैध तरीके से चेंबर में शामिल हुए है ऐसे सदस्यों की scrutiny होना आवश्यक है।

- श्री अजय मदान ने कहा कि सभी पुराने सदस्यों की सदस्यता की KYC करायी जानी चाहिए एवं GST certificate या shop establishment certificate बुलाकर उनकी फर्म की वैधता जांच की जानी चाहिए, गत २ वर्षो में ऐसे लोगों को भी चेंबर का सदस्य बनाया गया है कि जिनकी कोई दुकान या फर्म भी नहीं है।

- श्री दिपेनजी अग्रवाल ने कहा कि प्रशासक महोदय के आदेश से पुराने सदस्यों से KYC फार्म भरवाकर चेंबर की सदस्यता व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।

  प्रशासक टीम मेंबर सी.ए. प्रसाद धारप ने कहा कि सदस्यता KYC पर प्रशासक महोदय से चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा।

- श्री हेमंतजी गांधी ने कहा कि प्रशासक महोदय उनकी नियुक्ती के तुरंत बाद ही चेंबर के पुराने सदस्यों की सदस्यता रिन्युल एवं नई सदस्यता शुरू करवायी। उनकी सदस्यता जांच-पड़ताल के लिए मुझे एवं अन्य पुर्व अध्यक्षों को लेकर NVCC new members scrutiny comittee बनायी जिसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। नागपुर के व्यापारी NMRDA, LBT, GST एवं अन्य समस्याओं का सामना कर रहे है एवं २ दिन पहले ही नागपुर क्षेत्र में बहुत भारी बारिश हुई। शहर की बहुत सी दुकानों में पानी घुस गया और कम्प्युटर सिस्टम भी खराब हो गए। जिसके कारण व्यापारियों को माल के नुकसान के साथ-साथ उनके कम्प्युटर के दस्तावेज भी खराब हो गए। प्राकृतिक आपदा में सरकार द्वारा सिर्फ किसानों एवं आमजनता के लिए राहत घोषणाएं की जाती है और व्यापारी वर्ग अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक होने के बाद भी उन पर दुर्लक्ष किया जाता है।

अतः उन्होंने प्रशासक महोदय से निवेदन किया कि चेंबर एक समिती गठित की जानी चाहिए। जो व्यापारियों की सभी समस्याओं को चेंबर की ओर से सरकार व शासन के समक्ष रखकर उनका हल कराने में सहयोग करे।

प्रशासक महोदय ने कहा कि जल्द ही समिती के गठन की जानकारी सदस्यों को दी जाएगी।

कोई अन्य विषय न होने पर नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की ७९वीं वार्षिक आमसभा समाप्त हुई।

दि. २३.१०.२०२३

स्थान : दिल्ली

UTTAM CHAND NAHTA

Digitally signed by UTTAM CHAND NAHTA
Date: 2023.10.23 17:35:30 +05'30'

सभा के सभापति

(यु.सी. नाहटा)